न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 02/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/38

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री रुपलाल पुत्र श्री विजय कुमार निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 09–07–2025

प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाडा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग अधिनियम 1952 कर निवेदन किया गया कि श्री रुपलाल पिता विजय कुमार निवासी बरजडिया, उचित मुल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम (पोस कोड 6228) एवं अस्थायी रुप से किये जा रहे उचित मुल्य दुकान छाजा भाग द्वितीय (पोस कोड 6235) की जांच राशन वितरण के दौरान श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.07.2022 को की गई।

मौके पर डीलर द्वारा वितरीत राशन सामग्री की जांच की गई एवं उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में दर्ज की गई गेहू की वितरण की मात्रा एवं उपभोक्तओ को प्राप्त गेहू का सत्यापन किया गया। उपभाक्ताओ के बयान लिये गये। जिसमे डीलर द्वारा ऑनलाईन ट्रांजेक्शन अधिक किया जाकर उपभोक्ताओ को कम राशन सामग्री दिया जाना पाया गया। डीलर की पोस मशिन 6228 में दर्ज स्टॉक एवं गोदाम की जांच करने पर बरजडिया भाग प्रथम का 158.26 क्विं गेहू एवं 122 किलो[illegible] चान[illegible]ा पोस मशिन में दर्ज स्टॉक अनुसार कम पाई गई, जिससे डीलर द्वारा गबन किया जाना पाया गया [illegible] ही 21 की फिंगर लग[illegible] माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2022 का 810 किग्रा गेहू का वितरण नही क[illegible]बन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री रुपलाल पिता विजय कुमार निवासी बरजडिया, उचित मुल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम द्वारा उचित मुल्य दुकान छाजा भाग द्वितीय (पोस कोड 6235) का वितरण कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। जिसकी जांच किये जाने पर 187.53 क्विं गेहू का गबन किया जाना पाया गया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17सी का उल्लंघन किये जाने पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना आनन्दपुरी में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने मूल उचित मूल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम पोस कोड 6228 का कुल 158.26 क्विं गेहू व 122 किग्रा चीनी को खुर्द बुर्द किया एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकान छाजा भाग प्रथम पोस कोड 6235 का 187.53 क्विं गेहूं का गबन किया गया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 353.89 क्विं गेहूं की कीमत 27 रु प्रति किग्रा से 955503 रु. बनती है एवं 122 किग्रा चीनी की कीमत बाजार दर 40 रु प्रति किग्रा से कुल 4880 रु बनती है। गेहू व चीनी की कुल राशि रु. 960383/– उचित मूल्य दुकानदार श्री रुपलाल/ विजय कुमार से वसूली की जानी है।

अप्रार्थी डीलर श्री रुपलाल पिता विजय कुमार द्वारा कुल 353.89 क्विं गेहूं व 122 किग्रा चीनी का गबन किया गया है। जिसकी कुल राशि 960383/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 960383/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 13.11.2024 को श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया। दिनांक 07.03.2025 को अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के विरुद्ध रुपये 9,60,383/– बकाया होने पर प्रमाण पत्र धारा 4 राजस्थान पब्लिक रिकवरी एक्ट 1952 के तहत प्रस्तुत हुआ है, जिसमें उक्त रुपये सम्बन्ध में आप श्रीमान् के द्वारा जारी फार्म नं. 3 नोटिस अन्तर्गत धारा 6 पीडीआर एक्ट 1952 दिनांक 11.09.2024 का जारी कर आगामी दिनांक 04.11.2024 तक उक्त राशि का भुगतान करने हेतु नियत किया है। जिसके सम्बन्ध मे निवेदन है कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज किया गया है वह वर्तमान में न्यायालय मे विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अभी तक दोषसिद्ध नही किया गया है। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से राशन सामग्री का गबन नही किया है, जबकि प्रार्थी ने सम्पूर्ण राशन सामग्री का वितरण कर दिया है, इसलिए प्रार्थी के विरुद्ध धारा 4 राजस्थान पब्लिक रिकवरी एक्ट 1952 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने की कृपा करे।

दिनांक 02.07.2025 को उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि श्री रुपलाल पिता विजय कुमार निवासी बरजडिया, उचित मुल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम (पोस कोड 6228) एवं अस्थायी रुप से किये जा रहे उचित मुल्य दुकान छाजा भाग द्वितीय (पोस कोड 6235) की जांच राशन वितरण के दौरान श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.07.2022 को की गई।

मौके पर डीलर द्वारा वितरीत राशन सामग्री की जांच की गई एवं उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में दर्ज की गई गेहू की वितरण की मात्रा एवं उपभोक्तओ को प्राप्त गेहू का सत्यापन किया गया। उपभाक्ताओ के बयान लिये गये। जिसमे डीलर द्वारा ऑनलाईन ट्रांजेक्शन अधिक किया जाकर उपभोक्ताओ को कम राशन सामग्री दिया जाना पाया गया। डीलर की पोस मशिन 6228 में दर्ज स्टॉक एवं गोदाम की जांच करने पर बरजडिया भाग प्रथम का 158.26 क्विं गेहू एवं 122 किलोग्राम चीनी का पोस मशिन में दर्ज स्टॉक अनुसार कम पाई गई, जिससे डीलर द्वारा गबन किया जाना पाया गया, साथ ही 21 को फिंगर लगवाकर माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2022 का 810 किग्रा गेहू का वितरण नही कर गबन किया गया।

श्री रुपलाल पिता विजय कुमार निवासी बरजडिया, उचित मुल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम द्वारा उचित मुल्य दुकान छाजा भाग द्वितीय (पोस कोड 6235) का वितरण कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। जिसकी जांच किये जाने पर 187.53 क्विं गेहू का गबन किया जाना पाया गया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, [illegible] 15, 17सी का उल्लंघन किये जाने पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना आनन्दपुरी में दर्ज करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:16 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

इस प्रकार डीलर ने मूल उचित मूल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम पोस कोड 6228 का कुल 158.26 क्विं गेहू व 122 किग्रा चीनी को खुर्द बुर्द किया एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकान छाजा भाग प्रथम पोस कोड 6235 का 187.53 क्विं गेहूं का गबन किया गया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 353.89 क्विं गेहूं की कीमत 27 रु प्रति किग्रा से 955503 रु. बनती है एवं 122 किग्रा चीनी की कीमत बाजार दर 40 रु प्रति किग्रा से कुल 4880 रु बनती है। गेहू व चीनी की कुल राशि रु. 960383/– उचित मूल्य दुकानदार श्री रुपलाल/ विजय कुमार से वसूली की जानी है।

अप्रार्थी डीलर श्री रुपलाल पिता विजय कुमार द्वारा कुल 353.89 क्विं गेहूं व 122 किग्रा चीनी का गबन किया गया है। जिसकी कुल राशि 960383/–रु. वसूली किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज किया गया है वह वर्तमान में न्यायालय मे विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अभी तक दोषसिद्ध नही किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने की कृपा करे।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर श्री रुपलाल/ विजय कुमार, उचित मूल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम पोस कोड 6228 का कुल 158.26 क्विं गेहू व 122 किग्रा चीनी को खुर्द बुर्द किया एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकान छाजा भाग प्रथम पोस कोड 6235 का 187.53 क्विं गेहूं का गबन किया गया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 353.89 क्विं गेहूं व 122 किग्रा चीनी वितरण नही कर गबन किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17सी का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा उनके प्रकरण सं. 31/2022 में निर्णय दिनांक 16.01.2023 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1264/2005 निरस्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

अप्रार्थी डीलर श्री रुपलाल/ विजय कुमार, उचित मूल्य दुकान बरजडिया भाग प्रथम पोस कोड 6228 का कुल 158.26 क्विं गेहू व 122 किग्रा चीनी को खुर्द बुर्द किया एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकान छाजा भाग प्रथम पोस कोड 6235 का 187.53 क्विं गेहूं का गबन किया गया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 353.89 क्विं गेहूं व 122 किग्रा चीनी खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार विभाग अनुसार गेहू व चीनी की कुल राशि 960383/—रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री रुपलाल पुत्र श्री विजय कुमार निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत राशि विभाग अनुसार 960383/—रु अक्षरे रुपया नौ लाख साठ हजार तीन सौ तियासी मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09—07—2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:16 IST
Reason: SelfAttested